न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 33/2026

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. गणपत जैन पुत्र मेंवीचंद जाति जैन निवासी जाम्बे जी की गली, बाड़मेर (मैसर्स पदमावती ट्रेडिंग क0, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर का मालिक)
2. दिनेश पुत्र बंशीधर निवासी हेमराज जी की गली, बाड़मेर (मैसर्स हीरामनी एन्टरप्राईज गाँधी नगर, बाड़मेर का मालिक)
3. श्री मति मंजू गोयल पत्नी शिवचरण गोयल निवासी बी–31, आदर्श विद्या मंदिर, जनता कॉलोनी, जयपुर (मैसर्स शंभु दयाल एण्ड कंपनी, बी–64, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा रोड, जयपुर का प्रोप्राईटर)
4. नवदीप सोरयान पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बी–604, आशादीप ग्रीन एवेन्यू नीयर अक्षयपुत्र टेंपल, जगतपुरा, जयपुर (मैसर्स सांवरिया स्वीट प्राइवेट लि. एफ–837/838 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा, जयपुर का निर्माता)
5. मैसर्स सांवरिया स्वीट प्राइवेट लि0 एफ–837/838 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा, जयपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हितेष सांझीरा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.06.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स पदमावती ट्रेडिंग क0, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **07.10.2025** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **सोन पापड़ी (कान्हा)** जो कि अलग–अलग डिब्बों में भरी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **400–400 ग्राम के 4 पैकेट सोन पापड़ी (कान्हा)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2961** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **सोन पापड़ी (कान्हा)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **30.10.2025** में उक्त खाद्य पदार्थ **सोन पापड़ी (कान्हा)** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** बताया गया जिसकी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में गैरसायल संख्या 4 नवदीप सोरयान को अनावश्यक रूप से अभियुक्त बनाया गया है जो कि गैरसायल संख्या 5 की कम्पनी में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। कि नवदीप सोरयान केवल कर्मचारी है जो कि कम्पनी के दिन प्रतिदिन में सेल्स सहायक की भूमिका में था तथा उसका सम्पूर्ण व्यापारिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का योगदान नहीं होने के कारण उस पर कोई स्वतंत्र, निर्णयात्मक या विधिक उतरदायित्व नहीं बनता है। केवल कम्पनी में कर्मचारी होकर सहायक की भूमिका निभाना उसे दण्डात्मक उतरदायित्व के दायरे में नहीं लाता है। माननीय न्यायालयों द्वारा यह बार बार अवधारित किया है कि केवल उपस्थिति या संयोगवंश भूमिका के आधार पर किसी को अभियुक्त नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसका दायित्व अधिकार या गलत इरादा विधि पूर्वक प्रमाणित न हो। इस आधार पर गैरसायल संख्या 4 को अभियोजन से मुक्त किया जाना न्याय संगत है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **30.10.2025** में उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading of extracted fat मानक स्तर 40.0 से 44.0 के मुकाबले 47.20 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिसके जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि इस

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रकरण में गैरसायल संख्या 4 नवदीप सोरयान को अनावश्यक रूप से अभियुक्त बनाया गया है जो कि गैरसायल संख्या 5 की कम्पनी में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। कि नवदीप सोरयान केवल कर्मचारी है जो कि कम्पनी के दिन प्रतिदिन में सेल्स सहायक की भूमिका में था तथा उसका सम्पूर्ण व्यापारिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का योगदान नहीं होने के कारण उस पर कोई स्वतंत्र, निर्णयात्मक या विधिक उतरदायित्व नहीं बनता है। केवल कम्पनी में कर्मचारी होकर सहायक की भूमिका निभाना उसे दण्डात्मक उतरदायित्व के दायरे में नहीं लाता है। माननीय न्यायालयों द्वारा यह बार बार अवधारित किया है कि केवल उपस्थिति या संयोगवंश भूमिका के आधार पर किसी को अभियुक्त नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसका दायित्व अधिकार या गलत इरादा विधि पूर्वक प्रमाणित न हो। इस आधार पर गैरसायल संख्या 4 को अभियोजन से मुक्त किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी द्वारा जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर **रूपये 20,000/–**, अप्रार्थी संख्या 02 पर **रूपये 20,000/–**, अप्रार्थी संख्या 03 पर **रूपये 25,000/–** एवं अप्रार्थी संख्या 05 पर **रूपये 70,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर